राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1153/2010/कोटा

मैसर्स रामपाल सिंह कान्ट्रेक्टर

कोटा अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वक्त कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,कोटा प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री वी.के.पारीक

अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 17.06.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 17/वैट/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलीर्थी ठेकेदार है। उसके द्वारा वर्ष 07–08 में किये गये संविदा कार्य के सम्बन्ध में काटे गए टी.डी.एस. रू. 19927/–को राजकोष में जमा कराये जाने के सत्यापन व प्रपत्र 41 के अभाव में उक्त राशि को जमा नहीं अवधारित कर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.1.2.2009 पारित कर रू. 38,565/–की मांग कायम की, जिसमें से रू. 37,648/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक नें कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष एस टी 10 एवं नगर पालिका,रावतभाटा द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि उसके द्वारा रू.776006/–का एडवान्स कर का भुगतान दिनांक 31.03.2008 को कर दिया था तथा डी.टी.एस. काटे जाने के सम्बन्ध में नगर पालिका,रावतभाटा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था,जिसको बिना किसी आधार के सही नहीं मानते हुए अपील अस्वीकार की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने उक्त कथन के समर्थन में वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा को लिखे पत्र एवं उसके साथ संलग्न वैट–41 की छाया प्रति एवं कार्यालय नगर पालिका रावटभाटा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को विवादित मांग राशि रू. 37648/–का 10 प्रतिशत रू. 3770/–जमा का कोई प्रमाण अपील मेमोरेन्डम के साथ प्रस्तुत नही किया गया, इस सम्बन्ध में सूचना पात्र जारी किया गया कि विवादित राशि का 10 प्रतिशत जमा करवाकर चालान 10.3.2010 तक प्रस्तुत करें अथवा रू. 19927/–के टी.डी.एस.जमा का प्रमाण पत्र वैट–41 प्रस्तुत करें ताकि अपील की कमी पूर्ति की जा सके, किन्तु उसकी ओर से उक्त कमी पूर्ति नहीं किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील खारिज कर दी,जो उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2010 को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश एवं रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किये गये भुगतान में काटे गये टी.डी.एस. रू. 19927/–को राजकोष में चालान जमा होना बताया है लेकिन टी डी सी जमा के सम्बन्ध में वैट–41 रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने पर विवादित राशि का 10 प्रतिशत रू. 3770/–जमा नहीं कराये गये हैं, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 (3) के अन्तर्गत के जमा कराना आज्ञापक है। अधिनियम की धारा 82(3) निम्न प्रकार है :–

"(3) Notwithstanding anything contained in sub–section (4) of section 38, no appeal under this section shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax and other amounts admitted by the appellant to be due from him or of such instalment thereof as might have become payable and in case of an appeal from an *ex–parte* assessment order, five percent of, and in other cases ten percent of the ***"disputed tax amount".***

अधिनियम की उक्त धारा के प्रावधनानुसार सृजित मांग की 10 प्रतिशत राशि जमा कराना आज्ञापक है, उसके अभाव में अपील श्रवण योग्य नहीं होती है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अधिनियम की उक्त धारा के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया कि सृजित मांग का 10 प्रतिशत राशि जमा करा कर कमी पूर्ति की जाये एवं काटे गये टी डी एस के सम्बन्ध में वैट–41 प्रस्तुत करे, किन्तु अपीलार्थी द्वारा उसकी पूर्ति नही करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील खारिज की है,

जो विधिक है। टी डी एस राजकोष में जमा होने का सत्यापन वैट–41 से ही हो सकता है उसके अभाव में नहीं।

उक्त नोटिस के पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो सृजित मांग का 10 प्रतिशत राशि जमा करायी और ना ही टी डी एस राजकोष में जमा के सत्यापन हेतु वैट–41 प्रस्तुत किया, उक्त तथ्यों के अभाव में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज की है,जिसे अविधिक नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारी को एक अवसर और प्रदान किया जाकर उसे निर्देश दिये जाते हैं कि यदि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग का 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराने का प्रमाण एवं टी डी एस जमा के सत्यापन हेतु वैट–41 अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करें । अपीलार्थी व्यवहारी यदि निर्णय की प्राप्ति के 30 के भीतर सृजित मांग का 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराने का प्रमाण एवं टी डी एस जमा के सत्यापन हेतु वैट–41 प्रस्तुत नहीं करता है तो अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2010 यथावत रहेगा ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य